अनुलग्नक

सं0 एम-11016/1(4)/2010-पीसी
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली 10, अगस्त 2011

आदेश

विषयः योजना आयोग में आउटसोर्स/ बाह्य परामर्शी कार्य के लिए संशोधित प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देश

विशिष्ट कार्य के लिए जिसे सामग्री और उसे पूरा करने की समय सीमा के अनुसार सुपरिभाषित किया जाएगा, ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए विषय प्रभाग बाह्य व्यावसायिकों/ परामर्शी फर्मों/ परामर्शदाताओं (जिन्हें बाद में बाह्य परामर्शदाता कहा जाएगा) को हायर कर सकते हैं। आउटसोर्स/बाह्य परामर्श कार्य स्कीम योजना आयोग में प्रशासन-I अनुभाग (योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता स्कीम के तहत) द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के लिए मौजूदा परामर्शदाताओं की नियुक्ति से अतिरिक्त होगी और इसकी सेवा योजना समन्वय तथा प्रबन्धन प्रभाग द्वारा दी जाएगी तथा उनका नियामन निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा:

1. आउटसोर्सिंग /बाह्य परामर्शी कार्य हेतु सामान्य शर्तें:

1.1 आउटसोर्स / बाह्य परामर्शी कार्य योजना आयोग को उच्च गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराने के लिए होगा, जिसके लिए आन्तरिक विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं हो।

1.2 बाह्य परामर्श कार्य वैयक्तिकों /शैक्षिक संस्थानों /पंजीकृत परामर्शी फर्मों /प्रतिष्ठित अलाभकारी संगठनों आदि को दिया जाएगा।

1.3 विषय प्रभाग द्वारा जीएफआर-163 से 177 तथा परामर्शदाताओं के रोजगार के लिए वित्त मंत्रालय की नीतियों तथा प्रक्रिया नियमावली में दिए गए संगत प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा।

2. संदर्भ शर्तें :

2.1 आउटसोर्सिंग/ बाह्य परामर्श की अवधि संबंधित सदस्य के अनुमोदन पर विषय प्रभाग द्वारा संदर्भ शर्तों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। इसकी अवधि सामान्य रूप से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.2 संदर्भ शर्तों में साधारण तथा संक्षिप्त भाषा में यह इंगित होना चाहिए कि कार्य की आवश्यकता, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, कार्य के समापन की सूची, सहायता या इनपुट विषय प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा परामर्शदाता से अपेक्षित अन्तिम परिणाम भी तय किया जाए। बाह्य परामर्शदाताओं द्वारा पूरे किए जाने वाले योग्यता तथा पूर्व योग्यता मानदण्डों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

3. प्रक्रिया : बाह्य परामर्शदाता/ आउटसोर्सिंग कार्य के चयन के लिए अनुकरणीय प्रक्रिया निम्नानुसार है :

3.1 दस लाख से अधिक वित्तीय महत्व वाले सभी मामलों के लिए परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) जिसमें विषय प्रभाग के प्रभारी सलाहकार, पीसीएमडी के प्रतिनिधि और आन्तरिक वित्त

प्रभाग के प्रतिनिधि होगें, इस समिति का गठन परामर्शदाताओं की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सीईसी का अधिदेश उपर्युक्त पैरा 1.3 में संदर्भित नियमावली के पैरा 1.6 में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा। सीईसी नीचे पैरा 3.2 तथा 3.3 में किए गए उल्लेख के अनुसार परामर्शदाता का चयन करेगी और अपनी सिफारिश विषय प्रभाग को प्रस्तुत करेगी जो संबंधित सदस्य के अनुमोदन के लिए एएस एवं एफए तथा सचिव / सदस्य सचिव के माध्यम से 25 लाख के वित्तीय महत्व वाले मामलों को प्रस्तुत करेगा। 25 लाख से अधिक वित्तीय महत्व वाले मामलों को विषय प्रभाग द्वारा सीईसी की सिफारिशें के साथ अनुमोदन हेतु एएस एवं एफ ए, सचिव/ सदस्य सचिव और संबंधित सदस्य के माध्यम से उपाध्यक्ष को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगें। हालांकि, जिन मामलों में कंसल्टेसी की अनुमानित लागत 10 लाख रूपये से कम है, उन मामलों में सीईसी का गठन करना अनिवार्य नहीं है, परंतु विषय से संबंधित प्रभाग यदि आवश्यक समझें, तो ऐसे मामलों के लिए भी संबंधित सदस्य के अनुमोदन से सीईसी का गठन कर सकता है।

3.2 पच्चीस लाख रूपये तक के परामर्शी कार्य के लिए योजना आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन, और इस प्रकार के कार्यकलापों में संलग्न अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा संगठनों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, परामर्शी फर्मों आदि के संघ से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से पूछ-ताछ के आधार पर संभावित परामर्शदाताओं के नाम की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधर पर, तकनीकी अपेक्षाओं और अन्य अहंता मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए पैनल में रखा जाएगा। तत्पश्चात, किसी विशिष्ट नियत-कार्य के लिए परामर्शदाता का अंतिम रूप से चयन करने हेतु लागत आधारित चयन/ गुणवत्ता आधारित चयन/ गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (परामर्शदाताओं के नियोजना की नीतियों और प्रक्रिया संबंधी एमओएफ मैनुअल के पैरा1.5.2)के माध्यम से, नामसूची में शामिल परामर्शदाताओं से सीमित निविदा पूछताछ की जाएगी।

3.3 जिन मामलों में कार्य अथवा सेवा की अनुमनित लागत पच्चीस लाच रूपये से अधिक है, वहाँ उपर्युक्त पैरा 3.2 में यथा-उल्लिखित परामर्शदाताओं की नामसूची तैयार करने की प्रक्रिया के अतिरिक्त, कम-से-कम एक राष्ट्रीय समाचारपत्र और योजना आयोग की वेबसाइट में आवेदकों से " रूचि की अभिव्यक्ति " मंगवाने की सूचना भी प्रकाशित की जानी चाहिए। रूचि की अभिव्यक्ति मंगवाने संबंधी पूछताछ में कार्य अथवा सेवा का व्यापक विषय, योजना आयोग (विषयवस्तु से संबंधित प्रभाग) द्वारा पूरे किए जाने वाली अर्हता और पूर्व-अर्हता संबंधी मानदण्ड तथा इस प्रकार के कार्य अथवा सेवा में आवेदक के पिदले अनुभव का संक्षेप में उललेख होना चाहिए। आवेदकों से, पूछताछ में दर्शाए गए कार्य अथवा सेवा के उद्देश्यों और विषय पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए भी कहा जा सकता है। इच्छुक आवेदकों से प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त हुए प्रत्युत्तर के आधार पर, अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों पर आगे विचार करने के लिए उनकी छटनी की जानी चाहिए। इस प्रकार छांटे गए आवेदकों में से परामर्शदाता का अंतिम चयन, उपर्युक्त पैरा 3.2 में यथा-उल्लिखित लागत आधारित / गुणवत्ता आधारित/ गुणवत्ता और लागत आधारित चयन के माध्यम से किया जाएगा।

3.4 उपर्युक्त पैरा 3.1 में यथा उल्लिखित अनुमोदन के पश्चात, संबंधित प्रभाग संघ/ संविदा (जहाँ आवश्यक हो) के अंतिम विचारार्थ विषय/ ज्ञापन सहित संस्वीकृति आदेश जारी करेंगे तथा

आवश्यक संविदात्मक औपचारिकताओं का पालन करेंगे। भुगतान प्रक्रिया के संबंध में, संबंधित प्रभाग भुगतान आदेश जारी करने से पहले संस्वीकृति की शर्तों सहित अनुपालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे।

3.5 कुछ विशेष परिस्थितियों में, किसी विशेष परामर्शदाता का चयन करना आवश्ययक हो सकता है, जिसके लिए योजना आयोग के समग्र हित के परिप्रेक्ष्य में एकल-स्रोत चयन हेतु पर्याप्त औचित्य उपलब्ध है। एकल स्रोत चयन हेतु पूर्ण युक्तिकरण फाइल में रिकार्ड की जानी चाहिए तथा पैरा 1.3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस मामले में जीएफआर के संगत प्रावधानों तथा नीतियों संबंधी मैनुअल और उपर्युक्त संबंधी प्रक्रियाएं अपनाई होगी।

4. **सुविधाएं एवं भत्तेः** बाह्य परामर्शदाता अपने स्वयं के निवास/ कार्यालय से कार्य करेगे। योजना आयोग द्वारा उन्हें कोई कार्यालय स्थान नहीं दिया जाएगा। वे किसी भी प्रकार के भत्ते अर्थात् दैनिक भत्ता, आवासीय टेलीफोन, परिवहन सुविधा, आवास, निजी स्टाफ, सीजीएचएस, चिकित्सा भुगतान, छुट्टी आदि के हकदार नहीं होंगे। कार्यभार ग्रहण करने अथवा इसकी पूर्णता पर उन्हें कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। परामर्शदाताओं को सरकारी खर्च पर विदेशयात्रा की अनुमति नहीं होगीं। भुगतान किया गया शुल्क सब मिला कर होगा, सेवा कर के अलावा जो यदि लागू हो, का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

5. **निधि जारी करना :**

5.1 सम्पूर्ण राशि कार्य के संतोषप्रद रूप से पूरा होने पर एक किस्त में; या दो/तीन समान किस्तों में या नीचे दी गई तालिका के अनुसार किस्तों में जारी की जाएगी:

किस्त	चरण	कुल का प्रतिशत
पहली	प्रारंभिक अग्रिम	30%
दूसरी	मसौदा रिर्पोट की प्रस्तुती	50%
तीसरी	व्यय को जांचने के पश्चात अन्तिम रिपोर्ट की स्वीकृति पर बकाया का भुगतान	20%
कुल		100%

5.2 व्यावसायिक सेवाओं पर 10% की दर से आयकर जैसाकि आयकर अधिनियम धारा 194 (जे) उपनियम (ए) एवं (बी) के साथ पढ़ा जाता है, में निर्धारित एवं शिक्षा उप-कर 2% तथा माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा उप-कर 1% की दर से उस स्रोत पर, राशि को जारी करने से पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी, योजना आयोग द्वारा संस्वीकृति आदेश के तहत् काटा जाएगा।

6. स्वीकृति निम्न नियमों एवं शर्तों के भी अधीन होगी :-

(i) बाह्य परामर्शदाता कार्य के विषयों को न तो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उपलब्ध कराएगा, न ही इसके किसी अंश को योजना आयोग की पूर्व जानकारी या अनुमति के बिना प्रकाशित करेगा।

(ii) सौंपे गए दस्तावेज में निहित आंकड़ों को बाह्य परामर्शदाता या बाह्य परामर्शदाता के किसी अन्य सहयोगी द्वारा किसी डॉक्टरल थिसिस सहित किसी प्रकार की प्रकाशन सामग्री हेतु या किसी अन्य डिग्री/ डिप्लोमा इत्यादि हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) बाह्य परामर्शदाता द्वारा उसे सौंपे गए कार्य हेतु प्रदत्त सामग्री की सुरक्षित हिफाजत हेतु उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कार्य को पूर्ण करने के पश्चात उसे संबंधित विषय प्रभाग, योजना आयोग को सुपूर्द करना चाहिए।

(iv) बाह्य परामर्शदाता को योजना आयोग की पूर्व संस्वीकृति के बिना, या उपर्युक्त कथनानुसार अपने कर्तव्यों के विधिवत्त निर्वहन में, रेडियो/ टीवी प्रसारण /दूरप्रसारण में भागीदारी या किसी आलेख में सहयोग देना या समाचार पत्र में बेनामी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पत्र नहीं लिखना चाहिए, अगर ऐसी पुस्तक, आलेख, प्रसारण/ दूरप्रसारण या पत्र उपरोक्त से सीधे रूप में संबंधित है, न केवल कार्य अनुबन्ध की अवधि के दौरान, लेकिन उसके बाद भी । कार्य अनुबन्ध की अवधि के दौरान एकत्रित कोई सूचना, जैसा कि उपर्युक्त रूप से कथित है को किसी को भी, जो उसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है, बताया नहीं जाना चाहिए।

(v) योजना आयोग को, अगर यह स्थापित हो जाता है कि उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है तो, बिना कोई कारण बताए, अनुबन्ध को रद्द करने का अधिकार होगा।

7. नियुक्त किए गए व्यक्ति, अगर कोई हैं, को परियोजना में बाह्य परामर्शदाता के कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा न कि सरकारी तथा उनकी सेवा शर्तें कर्म के नियमों एवं विनियमों के अनुसार शासित की जाएंगी।

8. निम्नलिखित बजटशीर्ष से व्यय का भुगतान किया जाएगा :

मांग सं0 : 74

मुख्य शीर्ष : 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

06 : योजना प्रक्रिया हेतु विशेषज्ञता

06.00.28 : व्यावसायिक सेवाएं

9. नियत कार्य संस्वीकृति पत्र तथा बाह्य परामर्शदाताओं के संदर्भ शर्तों में निहित निबंधन शर्तों को स्वीकार करने के पश्चात ही सौंपे जाएंगें। बाह्य परामर्शदाता योजना आयोग में नोडल प्रभाग को प्रस्तुत करने से पहले एक दस रूपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निर्धारित बॉण्ड तथा स्वीकृति आदेश की प्रति पर हस्ताक्षर करेगा जिसे कि निधियां जारी करने हेतु प्रक्रिया पूरी हो सके।

10. इसे एएस एण्ड एफए आई डी सं0 7702 दिनांक 26.07.2011 के तहत् एकीकृत वित्त प्रकोष्ठ की सहमति के पश्चात उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11. उपर्युक्त विषय से संबंधित पूर्व के दिनांक 25.5.2011 के सम संख्यक आदेश को वापस लिया जाता है।

ह/-

(मदन मोहन)

सलाहकार (पीसी एवं एमडी)

योजना आयोग के सभी विभागाध्यक्ष

उपाध्यक्ष/ राज्य मंत्री (योजना)/सदस्य/ सदस्य सचिव के निजी सचिव

(योजना भवन में ई-मेल के माध्यम से परिचालित)